न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भू-प्रबन्ध अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी :- श्री [illegible]
राजस्व लिटिगेशन प्रकरण संख्या : [illegible]/2022
दायर तिथि : [illegible].2022
निर्णय तिथि : 27-6-2022

प्रार्थी:-
श्री भोपालसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत
निवासी बिरोलिया तहसील बाली जिला पाली (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण :-
1. रणजीतसिंह, लालसिंह पि. भैरूसिंह सूरजकंवर पत्नि भैरूसिंह जाति राजपूत
   निवासी बिरोलिया तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
2. शम्भूसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी बिरोलिया
3. राजस्थान सरकार जरिये (मुन्सिफ) तहसीलदार, बाली

-: आदेश :- दिनांक 27-6-2022

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बिरोलिया में स्थित भूमि खाता संख्या 178 खसरा नंबर 53 रकबा 1.18 हैक्टर व खाता संख्या 179 खसरा नंबर 72 रकबा 3.13 हैक्टर की भूमि में तीन खातेदारों (1) रणजीतसिंह, लालसिंह पि. भैरूसिंह, सूरजकंवर पत्नि भैरूसिंह, जाति राजपूत निवासी बिरोलिया (2) भोपालसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी बिरोलिया व (3) शम्भूसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी बिरोलिया का बहिस्सा बराबर के खातेदारी हक रहे है। जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 में सभी के नाम दर्ज है। इसके बाद सभी खातेदारो ने बंटवारा कर खाते अलग-अलग करवा दिये। जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 में प्रार्थी भोपालसिंह पि. उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी बिरोलिया का नाम बिना किसी कारण जमाबंदी से विलोपित कर दिया है, अतः दुरस्ती के माध्यम से पुनः दर्ज किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार, बाली से जांच रिपोर्ट तलब की गई। इस संबंध में तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब किये जाने पर तहसीलदार, बाली ने जांच कर अपने कार्यालय क्रमांक/ भू.अभि./ 2022/3409 दिनांक 02.05.2022 से जांच रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित की। तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट के अनुसार-

1. जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 में ग्राम बिरोलिया के खसरा नंबर 53, 72, 238 कुल रकबा 8.29 हैक्टर भूमि में खातेदार रणजीतसिंह लालसिंह पि. भैरूसिंह सूरजकंवर पत्नि भैरूसिंह भोपालसिंह शम्भूसिंह पि0 उम्मेदसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार दर्ज थे।

2. तहसीलदार, बाली के आदेश क्रमांक/रा./2016/912-18 दिनांक 08.06.2016 की पालना में बंटवारा होने से नामान्तरकरण संख्या 271 के द्वारा निम्नानुसार नामान्तरकरण भरा गया-

(i) रणजीतसिंह लालसिंह पि. भैरूसिंह सूरजकंवर पत्नि भैरूसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार
खसरा नंबर 238 रकबा 1.29 हैक्टर

(ii) भोपालसिंह पुत्र उम्मेदसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार
खसरा नंबर 238/2 रकबा 1.29 हैक्टर

(iii) शम्भूसिंह पुत्र उम्मेदसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार
खसरा नंबर 238/3 रकबा 1.29 हैक्टर

(iv) रणजीतसिंह लालसिंह पि. भैरूसिंह सुरजकंवर पत्नि भैरूसिंह भोपालसिंह शम्भूसिंह पि. उम्मेदसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार

खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
53	1.18 हैक्ट.	बा.दो.	5.90
72	3.13 हैक्ट.	बा.दो.	15.65
238/1	0.11 हैक्ट.	बा.अ.	0.77 (रास्ता)
03	4.12 हैक्टर		22.32 रूपये

तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट के अनुसार नई जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 में अमल दरामद करते समय ग्राम बिरोलिया के खसरा नंबर 53, 72, 238/1 कुल रकबा 4.12 हैक्टर में भोपालसिंह पुत्र उम्मेदसिंह का नाम दर्ज नहीं करते हुये खसरा नंबर 53, 72, 238/1 कुल रकबा 4.12 हैक्टर में रणजीतसिंह लालसिंह पित्र भैरूसिंह सूरजकंवर पत्नि भैरूसिंह शम्भूसिंह पुत्र उम्मेदसिंह के साथ भोपालसिंह पुत्र उम्मेदसिंह दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गई।

तहसीलदार, बाली से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर हितबद्ध पक्षकारान् को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थी रणजीतसिंह पुत्र भैरूसिंह एवं शम्भूसिंह पुत्र उम्मेदसिंह के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये तथा सूरजकंवर पत्नि भैरूसिंह का नोटिस फौत की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ। अप्रार्थी लालसिंह पुत्र भैरूसिंह का नोटिस नहीं लौटा।

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या GCMS No 2022/

अनवान भोपालसिंह बनाम रणजीतसिंह वगैरा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

अप्रार्थी रणजीतसिंह पुत्र भैरूसिंह एवं शम्भूसिंह पुत्र उम्मेदसिंह बावजुद नोटिस तामील के दिनांक 15.06.2022 की पेशी पर न्यायालय में अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये गये। सूरजकंवर का नोटिस फौत की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ है। परन्तु उनके विधिक वारिशान पुत्रगण रणजीतसिंह व लालसिंह रेकर्ड पर मौजुद है। दिनांक 15.06.2022 को प्रार्थी भोपालसिंह व अप्रार्थी लालसिंह पुत्र रणजीतसिंह व्यक्तिशः उपस्थित हुये। अप्रार्थी लालसिंह ने अपनी पहचान स्वरूप आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश की। अप्रार्थी लालसिंह ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार रेकर्ड में हुई त्रुटि को सही कर नाम दर्ज किये जाने बाबत् सहमति प्रकट की।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। माफिक रिपोर्ट तहसीलदार, बाली ग्राम बिरोलिया के खसरा नंबर 53, 72, 238/1 रकबा क्रमशः 1.18 हैक्टर, 3.13 हैक्टर, 0.11 हैक्टर कुल खसरा–03 कुल रकबा 4.12 हैक्टर में रणजीतसिंह, लालसिंह पि. भैरूसिंह सूरजकंवर पत्नि भैरूसिंह शम्भूसिंह पुत्र उम्मेदसिंह के साथ दुरस्ती के माध्यम से भोपालसिंह पुत्र उम्मेदसिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बेडल को रेकर्ड में अमल दरामद के लिये भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी एवं
पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली

आदेश आज दिनांक 27-6-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी एवं
पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner